संख्या-8/280/38-6-16-01(पीएमएजीवाई)/2015टीसी-1

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास,

उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक- 22 मार्च ,2016**

विषयः- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अनुदान सं0-83(एससीएसपी मद) में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्रांक-338/पीएमएजीवाई/2016, दि0-09.03.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत गैप फिलिंग हेतु आदेश सं0-16015/1/2015सीसी, दि0-24.03.2015 द्वारा जनपद-पीलीभीत के 05 ग्राम तथा जनपद-सुल्तानपुर के 05 ग्राम कुल 10 ग्रामों हेतु रू0-1.00 करोड (रूपया 10.00 लाख प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु) तथा पत्र सं0-16015/07/2015सीसी, दि0-30.09.2015 द्वारा जनपद-सीतापुर के 140 ग्राम व लखनऊ के 60 ग्राम कुल 200 ग्रामों हेतु रू0-42.00 करोड कुल रू0-43.00 करोड अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जनपद-सीतापुर की प्रशासनिक मद की धनराशि रू0-105 लाख (140-35 लाख) तथा जनपद-लखनऊ की प्रशासनिक मद की धनराशि रू0-50.00 लाख (60-10लाख) को समायोजित करते हुए वित्त विभाग के पत्र सं0-आरई-196/10-2015, दि0-17.12.2015 द्वारा रू0-42.55 करोड की पुनर्विनियोग की धनराशि से रू0-42.55 करोड को निम्नानुसार अवमुक्त करते हुए आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:- **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्र. सं.	जनपद का नाम	जनपद में चयनित ग्रामों की कुल सं0	व्यय मद	प्रति ग्राम पंचायत निर्धारित धनराशि	कुल वांछित धनराशि (अनु0सं0-83)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

http://shasanadesh.up.nic.in

1	पीलीभीत	05	गैप फिलिंग	10.00	50.00	प्रथम किश्त
2	सुल्तानपुर	05	गैप फिलिंग	10.00	50.00	प्रथम किश्त
3	सीतापुर	140	गैप फिलिंग	20.00	2800.00	प्रथम तथा किश्त
4	लखनऊ	60	गैप फिलिंग	20.00	1200.00	प्रथम तथा किश्त
5	सीतापुर	140	प्रशासनिक मद	योजना मद का 5 प्रतिशत	140.00-35.00 (समायोजित) 105.00	राज्य/जनपद स्तर पर प्रशासनिक व्यय की धनराशि रू0-105.00 लाख के विभाजन के निर्धारण पश्चात प्रशासनिक मद की धनराशि का यथा अनुसार उपभोग किया जाएगा।
6	लखनऊ	60	प्रशासनिक मद	-तदैव-	60.00-10.00 (समायोजित) 50.00	राज्य/जनपद स्तर पर प्रशासनिक व्यय की धनराशि रू0-50.00 लाख के विभाजन के निर्धारण पश्चात प्रशासनिक मद की धनराशि का यथा अनुसार उपभोग किया जाएगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(पीएमएजीवाई) की मार्ग निर्देशिका तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3- आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा प्रश्नगत योजना में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-30 मार्च, 2015 एवं समाज कल्याण/बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक-29 मार्च, 2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना-(के.100/रा.00)-24-वृहत निमार्ण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा इसी अनुदान की बचतों के पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जाएगा। पुनर्विनियोग प्रपत्र सं0-आरई-196/10-2015, दि0-17.12.2015 की प्रति संलग्न है।

6- यह आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-275/दस-ई-2, दि0-22 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीया,

(वी0हेकाली झिमोमी)

सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/280(1)/38-6-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।

4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- मुख्य लेखा परीक्षाअधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

6- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद-पीलीभीत, सुल्तानपुर, सीतापुर तथा लखनऊ।

7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

9- ग्राम्य विकास अनुभाग-2/3/नियोजन अनुभाग-4

10-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।

11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in